[2010] 11 एस.सी.आर. 648

सुनीता झा

बनाम

झारखंड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1745/2010)

13 सितंबर, 2010

[अल्तमस कबीर और ए.के. पटनायक, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 - धारा 198ए - क्रूरता का अपराध - 'पति के रिश्तेदार' - प्रतिवादी संख्या 2-पत्नी द्वारा अपने पति और अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत मामला दायर किया गया, जो कथित तौर पर आरोपी पति के साथ उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी। अपीलकर्ता द्वारा दायर उन्मोचन आवेदन खारिज - उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को बरकरार रखा गया - अपील पर, अवधारित: केवल पति या उसके रिश्तेदार के खिलाफ धारा 498ए. के तहत कार्रवाई की जा सकती है - धारा 198ए. को ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता है जो उसका रिश्तेदार नहीं है जब कहा जाता है कि कथित अपराध पति द्वारा किया गया है - केवल इसलिए कि अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के आरोपी पति के साथ रह रही थी, वह प्रतिवादी संख्या 2 के पति के परिवार की सदस्य नहीं बन गई - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को यह अधिकार देकर गलती की पत्नी की स्थिति और, इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 के पति के परिवार के सदस्य - स्वीकार्यता का सिद्धांत मामले के तथ्यों में उपलब्ध नहीं होगा - हालांकि अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ क्रूरता का सीधा आरोप है। लेकिन यह प्रतिवादी नंबर 2 को अपने पति के खिलाफ धारा 498ए के तहत आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी अपीलकर्ता के खिलाफ, लेकिन धारा 498ए के तहत नहीं।. - अभिस्विक्रिति का सिद्धांत।

शब्दों और वाक्यांशों: अभिव्यक्ति 'पति के रिश्तेदार' (जैसा कि भा.द.वि. की धारा 498-ए में है) का संबंध।

प्रतिवादी नंबर 2 ने उसके खिलाफ शिकायत मामला दायर किया

धारा 498ए भा.द.वि.. के तहतपति और अपीलकर्ता । अपीलकर्ता ने अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि मामले में प्रतिवादी नंबर 2 से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी। उक्त आवेदन पर बहस के दौरान, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे भा.द.वि. की धारा 498ए. के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह प्रतिवादी नंबर 2 के पति की रिश्तेदार नहीं थी और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के तहत क्रूरता का मामला नहीं बनता है। उपरोक्त धारा. हालाँकि, मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता के आरोपमुक्त करने के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि भा.द.वि. की धारा 498ए के तहत अपीलकर्ता सहित आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत थे।व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि अपीलकर्ता प्रतिवादी नंबर 2 के आरोपी पति के साथ रह रही थी,

इसलिए उसे भा.द.वि. की धारा 498 ए के प्रयोजन के लिए प्रतिवादी नंबर 2 के पति के परिवार का सदस्य माना जाना चाहिए, और तदनुसार विचारण न्यायालय आदेश की पुष्टि की गई.

तत्काल अपील में विचार के लिए उठने वाला प्रश्न यह था: क्या अपीलकर्ता प्रतिवादी नंबर 2 के पति के परिवार का सदस्य केवल इसलिए बन गया क्योंकि वह उसके घर में कथित तौर पर उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. भा.द.वि. की धारा 498ए को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि किसी महिला के साथ क्रूरता करने वाला या तो उसका पति या पति का रिश्तेदार होता है, जिस पर उक्त धारा के तहत आरोप लगाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता जो कथित अपराध होने पर पति का रिश्तेदार नहीं था। भा.द.वि. की धारा 498ए स्पष्ट और स्पष्ट है कि केवल पति या उसके रिश्तेदार पर ही कार्रवाई की जा सकती है उक्त धारा के तहत पत्नी को "क्रूरता" के अधीन करने के लिए, जिसे विशेष रूप से उक्त धारा के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को पत्नी का दर्जा और इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 के पति के परिवार के सदस्य का दर्जा देकर गलती की। इस मामले के तथ्यों में अभिस्वीकृति का सिद्धांत उपलब्ध नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ क्रूरता का सीधा आरोप है, लेकिन यह प्रतिवादी नंबर 2 को अपने पति के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 498ए के तहत और हिंदू के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। विवाह अधिनियम, 1955, लेकिन भा.द.वि. की धारा 498ए के तहत नहीं। [पैरा 13] [654-एफ-जी; 655-ए-बी]

1.2. उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया है और अपीलकर्ता के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 498ए. के तहत अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान रद्द कर दिया गया है। [पैरा 14 [655-सी]

सुवेथा बनाम राज्य (2009) 6 एस.सी.सी. 757 –संदर्भित से.

केस कानून संदर्भ: (2009) 6 एस.सी.सी. 757 संदर्भित पैरा 7

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2010 की आपराधिक अपील संख्या 1745.

2007 के सी.आर.आर. संख्या 410 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 29.04.2009 के निर्णय और आदेश से संदर्भित है।

याचिकाकर्ता की ओर से गौरव अग्रवाल। उत्तरदाताओं की ओर से गोपाल प्रसाद, मोहन पांडे।

न्यायालय का निर्णय अल्तमस कबीर, जे. द्वारा सुनाया गया, 1. अनुदत्त छुट्टी।

2. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2007 का 410 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2009 के खिलाफ निर्देशित है। 2007 ने इसे खारिज खारिज करते हुए विचारण न्यायालय के उस आदेश की पुष्टि की, जिसमें अपीलकर्ता की मामले से मुक्त होने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।

3. आशा रानी पाल, प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने पति, मुकुंद चंद्र पंडित और अपीलकर्ता के खिलाफ अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुमका झारखंड के समक्ष 2005 का शिकायत मामला संख्या 404 भा0द0वि0 498ए के

तहत दायर किया था। झारखंड, धारा 498ए आईपीसी के तहत। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2006 द्वारा, अपीलकर्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया और आरोपियों को 5 अप्रैल, 2006 को उनके सामने पेश होने के लिए आदेशिकाए जारी की। उक्त आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। 1 जुलाई, 2006, जब अभियोजन पक्ष ने दो गवाहों की जांच की, अर्थात् प्रतिवादी नंबर 2 के पिता पीडब्लू. 1 कन्हाई पाल और पी.डब्लू.2 मुक्ति पाल। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा कोई और सबूत नहीं दिया गया और 13 नवंबर, 2006 को विद्वान मजिस्ट्रेट ने आरोप-पूर्व साक्ष्य को बंद कर दिया और मामले को आरोप तय करने पर बहस के लिए नियत कर दिया।

4. 09 मार्च, 2007 को, अपीलकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन फाइल किया कि शिकायतकर्ता से मामले में गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी। उक्त आवेदन पर बहस के दौरान, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को भा.द.वि. की धारा 498ए के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह मुकुंद चंद्र पंडित की रिश्तेदार नहीं थी और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के तहत क्रूरता का मामला नहीं बनता है। उपरोक्त धारा. हालाँकि, 9 मार्च, 2007 के अपने आदेश द्वारा, विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता के आरोपमुक्त करने के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि भा.द.वि. की धारा 498ए के तहत अपीलकर्ता सहित आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत थे।

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने 2007 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 410 के माध्यम से झारखंड उच्च न्यायालय रांचि मे अपना प्रस्ताव रखा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2009 द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के आरोपी पति के साथ रह रही थी, भा.द.वि. की धारा 498ए. के प्रयोजन के लिए उसे मुकुंद चंद्र पंडित के परिवार का सदस्य माना जाना चाहिए।

6. हमारे समक्ष अपीलकर्ता का मामला यह है कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर कानूनी गलती की कि अपीलकर्ता मुकुंद चंद्र पंडित के परिवार की सदस्य केवल इसलिए बन गई क्योंकि वह कथित तौर पर उनकी पत्नी के रूप में उनके घर में उनके साथ रह रही थी। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल ने तर्क दिया कि भा.द.वि. की धारा 498ए भा0द0वि0 बहुत स्पष्ट थी कि उक्त धारा के तहत किसे आरोपित किया जा सकता है। सुविधा के लिए, उक्त धारा को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

" भा0द0वि0 कि धारा 498ए. किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है। - जो कोई, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है। क्रूरता के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजन के लिए, "क्रूरता का अर्थ है-

(ए) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने या गंभीर चोट लगने या जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक) को खतरा हो या शारीरिक) महिला का; या

(बी) महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से होता है या असफल होने के कारण होता है। उसे या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को ऐसी मांग पूरी करनी होगी।"

7. उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जाएगा कि यह या तो पति है या किसी महिला के पति का रिश्तेदार है जो उसके साथ क्रूरता करता है, जो हो सकता है उक्त धारा के तहत आरोप लगाया गया। ऐसा प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता जो कथित अपराध होने पर पति का रिश्तेदार नहीं था। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता किसी भी तरह से पति से संबंधित नहीं थी और वह उसकी पत्नी नहीं थी, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा था ताकि उसे भा0द0वि0 की धारा 498 ए के दायरे में लाया जा सके और तदनुसार, उसके खिलाफ लगाया गया आरोप अमान्य और उत्तरदायी था। रद्द किया जाए. श्री अग्रवाल द्वारा यू.एस. में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया था।

सुवेथा बनाम राज्य [(2009) 6 एससीसी 7571, जिसमें उपरोक्त प्रश्न सीधे तौर पर मुद्दा था। इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि भा0द0वि0 की धारा 498 ए के तहत किन व्यक्तियों पर आरोप लगाए जा सकते हैं - विशेष रूप से उक्त धारा में आने वाले "पति के रिश्तेदार" वाक्यांश को ध्यान में रखते हुए। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि न तो कोई प्रेमिका है और न ही रखैल। धारा 498ए भा0द0वि0 के अर्थ के अंतर्गत पति का रिश्तेदार, क्योंकि वे पति से रक्त या विवाह द्वारा जुड़े नहीं थे।

8. दूसरा प्रश्न जो निर्धारण के लिए आया वह यह था कि यदि कोई पति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ रह रहा था, तो क्या यह धारा 498ए के अर्थ में "क्रूरता" के बराबर होगा। यह माना गया कि यदि ऐसी अन्य महिला रक्त या विवाह द्वारा पति से जुड़ी नहीं थी, तो वह धारा 498ए एल.पी.सी. के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगी, हालांकि यह न्यायिक अलगाव या विघटन के उद्देश्य से क्रूरता का कार्य हो सकता है। विवाह कानूनों के तहत विवाह का; लेकिन इसे भा0द0वि0 की धारा 498ए के तहत क्रूरता के बराबर नहीं बढ़ाया जा सकता।

9. दी गई परिस्थितियों में भा0द0वि0 की धारा 498ए के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि धारा 498ए. एक दंडात्मक प्रावधान होने के कारण सख्त निर्माण की आवश्यकता है और किसी भी कल्पना से कोई प्रेमिका या यहां तक कि एक उपपत्नी "रिश्तेदार" नहीं हो सकती है, जो स्थिति हो सकती है या तो रक्त संबंध या विवाह या गोद लेने द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यदि कोइ शादि नहि हुइ, एक का दूसरे का रिश्तेदार होने का सवाल ही नहीं उठता।

10. श्रि अग्रवाल ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने उक्त धारा के संबंध में अपीलकर्ता की तुलना में भा.द.वि. धारा 498ए. के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है और इसलिए, उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाना चाहिए। विद्वान अनुमंड्ल न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश ने आशा रानी पाल द्वारा दायर शिकायत मामले से मुक्ति के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

11. शिकायतकर्ता आशा रानी पाल की ओर से विद्वान मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर उचित ठहराने का प्रयास किया गया कि अपीलकर्ता को मुकुंद चंद्र पंडित की पत्नी का

दर्जा प्राप्त हुआ समझा जाना चाहिए। उसके आचरण और इस तथ्य से कि वे पति-पत्नी के रूप में एक

साथ रह रहे थे।

12. हमने अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता पत्नी की ओर से की गई दलीलों पर विचार किया है। बता दें कि इस कार्यवाही में पति मुकुंद चंद्र पंडित को पक्षकार नहीं बनाया गया है. हालाँकि, हम जो विचार रख रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील के निपटारे के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

13. धारा 498ए भा0द0वि0, जैसा कि यहां ऊपर दिया गया है, स्पष्ट और स्पष्ट है कि केवल पति या उसके रिश्तेदार के खिलाफ पत्नी के साथ "क्रूरता" करने के लिए उक्त धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसे विशेष रूप से उक्त धारा में प्रायश्चित में परिभाषित किया गया है। तत्संबंधी. धारा 498ए के प्रयोजन के लिए पति का रिश्तेदार कौन होगा, इस प्रश्न पर यू. सुवेथा के मामले (सुप्रा) में विस्तार से विचार किया गया है। हम उक्त मामले में व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हैं और हम अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को पत्नी का दर्जा देने में त्रुटि की है और इसलिए, ए मुकुंद चंद्र पंडित के परिवार के सदस्य। अभिस्वीकृति का सिद्धांत उपलब्ध नहीं होगा इस मामले के तथ्यों में, कोई संदेह नहीं है, अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ क्रूरता का सीधा आरोप है।आशा रानी पाल, लेकिन जैसा कि यू. सुवेथा के मामले (सुप्रा) में संकेत दिया गया है, यह प्रतिवादी नंबर 2 को अपने पति के खिलाफ भा0द0वि0 की धारा 498ए. के तहत आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। और अपीलकर्ता के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी, लेकिन धारा 498ए एल.पी.सी. के तहत नहीं।

14. अत: अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। इस अपील मे आपेक्षत झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया गया है और अपीलकर्ता के खिलाफ 6 फरवरी, 2006 को विद्वान अनुमंड्ल न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुमका द्वारा भा.द.वि. की धारा 498 ए के तहत लिये गये संज्ञान को रद्द कर दिया गया.

बी.बी.बी.

अपील की अनुमति.

<u>यह अनुवाद किरण शंकर मिश्रा, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>